


18.2.21

प्राचीन मय वकील उपस्थित । जलजिण
द्वारा उक्त मूल वाद संख्या 32/2020
जरिये विटोल खारिज करवाया जा चुका है।

अतः वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रभावहीन
है अतः उसे जरिये विटोल खारिज किया
जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नंबर
से कम है।


सहायक कलेक्टर
(B.D.O.) बालोराज

